न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 32/2017

महेन्द्र पुत्र भोलाराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी सोकड़ाला, तन छापोली तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2. मोहन पुत्र भोलाराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी सोकड़ाला, तन छापोली तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।
3. गोकुल पुत्र भोलाराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी सोकड़ाला, तन छापोली तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोंडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी सरकार बनाम महेन्द्र अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 14/2017 निर्णय दिनांक 18.05.2017

उपस्थितिः—

1 श्री योगेन्द्र शर्मा, एडवोकेट ———— ———— ————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 31.08.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.05.2017 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम महेन्द्र मु0नं0 14/2017 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— पटवारी हल्का छापोली ने संवत 2033 में नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि मौजा ग्राम ढाणी सोकड़ाला के खसरा के नंबर 621 रकबा 13.51 हैक्टेयर गैर मुमकिन पहाड़ में से रकबा 0.20 हैक्टर पर मोहन, महेनद्र, गोकुल पुत्र भोलाराम जाति जाट निवासी ढाणी सोकड़ाला ने पक्के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.01 16:31:51 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट व रेस्पोंडेंट नंबर 2 व 3 के विरूद्ध नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधि0 1956 के अंतगर्त प्रकरण दर्ज कर अपीलांट व रेस्पोंडेट को नोटिस जारी किये। अपीलांट व रेस्पोंडेट नंबर 2 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के जवाब पर गौर नहीं कर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट ने किसी भी प्रकार से पहाड़ की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया और ना ही खसरा नंबर 621 की भूमि पर अतिक्रमण किया। हल्का पटवारी ने राजनैतिक दबाव में गलत रिपोर्ट पेश की है। खसरा नंबर 621 रकबा 13.51 हैक्टर ग्राम सोकड़ाला के दक्षिणी सीमा पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क है। उक्त सड़क के दक्षिण में अपीलांट व रेस्पोडेंट नंबर 2 व 3 की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 540, 541, 542, 543 स्थित है। अपीलांट व रेस्पोडेंट नंबर 2 व 3 ने उक्त सड़क के दक्षिण में अपनी खातेदारी की भूमि में आवासीय मकान बना रखे है तथा वर्षों से उनमें रहवास कर रहे हैं। मकान काफी पुराने होने का तथ्य हल्का पटवारी की रिपोर्ट में भी अंकित है। अदालत मातहत ने उक्त तथ्य पर गौर नहीं कर भारी कानूनी गलती की है। हल्का पटवारी बिना मौके पर गये ही राजनैतिक दबाव के कारण गलीत मौका रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट तैयार करते समय प्रार्थी/अपीलांट या अन्य किसी मौजीज व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये। अदालत मातहत ने अपीलांट को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.05.2017 अपास्त फरमाया जावे तथा पत्रावली योग्य अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड फरमाई जावे कि प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें तथा दौराने अपील मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः— अपीलांट ने किसी भी प्रकार से पहाड़ की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया और ना ही खसरा नंबर 621 की भूमि पर अतिक्रमण किया। हल्का पटवारी ने राजनैतिक दबाव में गलत रिपोर्ट पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.01 16:31:51 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

खसरा नंबर 621 रकबा 13.51 हैक्टर ग्राम सोकड़ाला के दक्षिणी सीमा पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क है। उक्त सड़क के दक्षिण में अपीलांट व रेस्पोडेंट नंबर 2 व 3 की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 540, 541, 542, 543 स्थित है। अपीलांट व रेस्पोडेंट नंबर 2 व 3 ने उक्त सड़क के दक्षिण में अपनी खातेदारी की भूमि में आवासीय मकान बना रखे है तथा वर्षों से उनमें रहवास कर रहे हैं। मकान काफी पुराने होने का तथ्य हल्का पटवारी की रिपोर्ट में भी अंकित है। अदालत मातहत ने उक्त तथ्य पर गौर नहीं कर भारी कानूनी गलती की है। हल्का पटवारी बिना मौके पर गये ही राजनैतिक दबाव के कारण गलीत मौका रिपोर्ट तैयार की है। अदालत मातहत ने अपीलांट को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.05.2017 अपास्त फरमाया जावे ।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि हल्का पटवारी छापोली की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट व रेस्पोंडेट नंबर 2 व 3 द्वारा ग्राम ढाणी सोकड़ाला के खसरा नंबर 621 रकबा 13.51 हैक्टर किस्म गै0 मु0 पहाड़ में से रकबा 0.20 हैक्टर पर अनाधिकृत रूप से पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि हल्का पटवारी द्वारा राजनैतिक दबाव में बिना नपती करवाये उनके खातेदारी भूमि में निर्मित पुराने पैत्रिक मकानों को अतिक्रमण की रिपोर्ट की है जिसके आधार पर तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध बेदखली का निर्णय पारित कर दिया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। विवादित भूमि खसरा नंबर 621 रकबा 13.51 हैक्टर किस्म गै0 मु0 पहाड़ दर्ज रिकार्ड है। हल्का पटवारी छापोली की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पुराने व पक्के मकान होने का अंकन उनकी रिपोर्ट में अंकित किया गया। विवादित भूमि की किस्म गै0 मु0

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.01 16:31:51 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर

पहाड़ है और पुराना कब्जा होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 01.03.2017 मु. नं. 14/2017 सरकार बनाम मोहन, महेन्द्र, गोकुल पुत्र भोलाराम निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार उदयपुरवाटी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पुनः प्रकरण दर्ज कर स्वयं मौका निरीक्षण कर मौके पर नपती करवायी जाकर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें। विवादित भूमि की किस्म गैर मु0 पहाड़ है । राज्य सरकार के निर्देशानुसार अगर पुराने कब्जे के आधार पर प्रकरण नियमन योग्य पाया जाता है तो विधिक प्रक्रिया के अनुसार नियमन की कार्यवाही करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

31.8.2021
अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.8.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.01 16:31:51 IST
Reason: SelfAttested